	그는 것 같은 것 같은 것은 것은 것이 같은 것이 같이 있는 것이 같이 많이 많이 했다.	
	न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।	
	भूमि सन्मामन अभिलेख संख्या 55.5/2022	
06.12.2022	भाम सरियापंग जागराख राट्याग्राम्माम्मम् आवेदिका बंसती देवी पति अर्जुन यादव, साकिन–केनदुआ, पोस्ट–चलकुशा, थाना–चलकुशा, जिला–हजारीबाग द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–	
66.12.2022	Court	
	मौजा थाना नं० खाता सं० प्लॉट सं० रकवा विक्स मोरियावा 02 51 1385 2.5 डी० रैयती	
	अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहरू निर्गत करें। अभिलेख दिनांक	
	कोडरमा ।	
13.12.2022	अभिलेख उपस्थापित।	
	आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।	
	हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-मोरियावा, थाना नं0-02, खाता सं0-51, प्लॉट, सं0-1385, रकवा-2.5 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-45 भाग संख्या-27 पर बंसती देवी पति अर्जुन यादव के नाम से ऑनलाईन जमाबन्ची दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा0 खा0 वाद सं0-3024/2021-22 है। उक्त भूमि आवेदक को केवाला संख्या-2476 दिनांक 31.07.2021 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या-10 दिनांक 10.11.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-मोरियावा, थाना नं0-02, खाता सं0-51, प्लॉट, सं0-1385, रकवा-2.5 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-मोरियावा, थाना नं0-02, खाता सं0-51, प्लॉट, सं0-1385, रकवा-2.5 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।	